श्री राघवेन्द्र सिंह, भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी, बक्सर की अध्यक्षता में दिनांक 03.12.2018 को जिला स्तरीय पदाधिकारियों एवं प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों के साथ सम्पन्न साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति : उपस्थिति पंजी में संधारित।

कार्यवाही

बैठक में निम्नवत् समीक्षा की गई एवं आवश्यक निदेश दिये गये–

1. **माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के बक्सर जिला में आगमन हेतु आवश्यक तैयारी की समीक्षा** :– बैठक में बताया गया कि माननीय मुख्यमंत्री, बिहार का सिमरी प्रखण्ड अन्तर्गत एकौना में दिनांक 11.12.2018 को आगमन प्रस्तावित है। इस क्रम में आवश्यक तैयारी हेतु संबंधित पदाधिकारियों को निम्नवत् निदेश दिये गये–

(i) कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, बक्सर एवं डुमरांव तथा कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, बक्सर को निदेशित किया गया कि एकौना जाने वाले अपने पथों का निरीक्षण कर आवश्यक मरम्मति कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनु0 : कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, बक्सर एवं डुमरांव कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, बक्सर)

(ii) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिमरी, वरीय पदाधिकारी, सिमरी प्रखण्ड तथा जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि एकौना एवं आस–पास के पंचायतों में सात निश्चय की योजनाओं के अतिरिक्त अन्य विभागीय योजनाओं की समीक्षा कर उसे पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे। सिमरी प्रखण्ड में शौचालय निर्माण के प्रोत्साहन राशि का भुगतान की स्थिति असंतोषजनक है। इसके अतिरिक्त जीओ टैग की स्थिति भी असंतोषजनक है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिमरी को निदेशित किया गया कि जीओ टैगिंग एवं भुगतान में प्रगति सुनिश्चित करेंगे।

(अनु0: प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिमरी/ वरीय प्रभारी पदाधिकारी, सिमरी प्रखण्ड/ जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

(iii) कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, बक्सर को निदेशित किया गया कि एकौना ग्राम में पहुँच कर माननीय मुख्यमंत्री के आगमन हेतु हैलीपैड के निर्माण हेतु आवश्यक तैयारी सुनिश्चित करेंगे तथा आक्षांश–देशांतर भेजना सुनिश्चित करेंगे।

(अनु0: कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, बक्सर)

(iv) कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमण्डल बक्सर को निदेशित किया गया कि एकौना एवं उसके आस–पास के सभी पंचायतों में खराब पड़े चापाकलों की मरम्मति करा कर चालू कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनु0: कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमण्डल, बक्सर)

(v) जिला योजना पदाधिकारी–सह–वरीय प्रभारी, सिमरी प्रखण्ड को निदेशित किया गया कि एकौना पंचायत के योजनाओं के अभिलेखों का जांच करेंगे तथा बेहतर ढंग से उसे संधारित कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनु0: जिला योजना पदाधिकारी–सह–वरीय प्रभारी सिमरी प्रखण्ड)

(vi) जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बक्सर, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिमरी, अंचल अधिकारी, सिमरी को निदेशित किया कि अपने कार्यालय की समीक्षा करेंगे। एकौना पंचायत से संबंधित मामलों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर कराना सुनिश्चित करेंगे। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, डुमरांव को निदेशित किया गया कि एकौना पंचायत से संबंधित दाखिल–खारिज के लम्बित मामले की स्वयं समीक्षा करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही ग्रामीणों को दाखिल–खारिज एवं राजस्व लगान जमा करने के सबंध में इस आशय की जानकारी देंगे कि अब ऑनलाईन दाखिल–खारिज कराया जाना है। साथ ही राजस्व लगान ऑनलाईन भी जमा किया जा सकता है।

(अनु0: अंचल अधिकारी, सिमरी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिमरी/ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, डुमरांव/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बक्सर)

(vii) अनुमण्डल पदाधिकारी, डुमरांव को निदेशित किया गया कि एकौना पंचायत से संबंधित राशन कार्ड की समीक्षा करेंगे तथा तैयार राशन कार्ड का वितरण कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही लम्बित आवेदनों के आलोक में योग्य लाभुकों का राशन कार्ड बनवाना सुनिश्चित करेंगे। अनुमण्डल पदाधिकारी, डुमरांव को निदेशित किया गया कि जन वितरण प्रणाली के दुकानदार के विरूद्ध कोई शिकायत प्राप्त हो तो उसकी अविलम्ब जांच कर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनु0: अनुमण्डल पदाधिकारी, डुमरांव)

(viii) सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि उनके विभाग से संबंधित एकौना पंचायत/सिमरी प्रखड का कोई जांच लम्बित हो तो उसका तत्काल जांच कर आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनु0 : सभी संबंधित पदाधिकारी, बक्सर जिला)

2. <u>लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान</u> :– सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को अवगत कराया गया कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग की प्रथम इन्टर स्तरीय प्रारम्भिक परीक्षा 2014 का दिनांक 08, 09 एवं 10 को दो पालियों में परीक्षा होना है, जिसमें सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों की भी प्रतिनियुक्ति होगी। निदेशित किया गया कि इस अवधि में भी जीओ टैगिंग की समीक्षा करेंगे तथा मोटिवेटरों से भी जीओ टैगिंग कराना सुनिश्चित करेंगे। बैठक में निदेशित किया गया कि पंचायत रोजगार सेवक एवं ग्रामीण आवास सहायकों से भी जीओ टैगिंग कराना सुनिश्चित करेंगे तथा इस कार्य में लापरवाही बरतने वाले पंचायत रोजगार सेवक एवं ग्रामीण आवास सहायकों के विरूद्ध कार्रवाई का प्रस्ताव भेजना सुनिश्चित करेंगे।

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की समीक्षा के क्रम में सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को 25 प्रतिशत से कम जीओ टैग वाले पंचायतों के बारे में जानकारी दी गई तथा निदेशित किया गया कि कम प्रगति वाले पंचायतों की विशेष समीक्षा कर जीओ टैगिंग में प्रगति लाना सुनिश्चित करें।

प्रोत्साहन राशि भुगतान हेतु जिले में जीओ टैगिंग की कम प्रगति को देखते हुए सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं प्रखण्डों के वरीय पदाधिकारियों को प्रगति लाने का निदेश दिया गया। इस क्रम में अवगत कराया गया कि जीओ टैगिंग में प्रगति हेतु एक दिवस निर्धारित किया जाएगा जिसमें अधिक से अधिक जीओ टैगिंग सुनिश्चित की जाएगी। उक्त तिथि को प्रत्येक पदाधिकारी द्वारा कम से कम पाँच जीओ टैग की जाएगी।

(अनु0 : सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बक्सर जिला)

3. <u>पंचायतों के द्वारा सात निश्चय की राशि की व्यय जांच</u> :– बैठक में बताया गया कि पंचायत वार रूम का ई–मेल आई0डी0 तैयार कर अग्रणी जिला प्रबंधक को उपलब्ध कराया गया है। उक्त ई–मेल आई0डी0 पर पंचायतों के खातों का आय–व्यय का ब्योरा बैंकों के द्वारा भेजा जाएगा। सभी प्रखण्डों के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं वरीय प्रभारी पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि प्रत्येक 15 दिन पर उक्त ई–मेल प्राप्त कर आय–व्यय की समीक्षा करेंगे तथा निकासी किये गये राशि के आधार पर वार्ड प्रबंधन एवं क्रियान्वयन समिति के द्वारा हर घर नल का जल एवं हर घर पक्की गली–नाली योजनाओं में कार्य की जांच करेंगे तथा निकासी की गई राशि के समतुल्य स्थल पर योजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करायेंगे।

(अनु0 : सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बक्सर जिला/सभी प्रखण्डों के वरीय पदाधिकारी)

4. <u>सात निश्चय की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा</u> :– सभी प्रखण्डों के वरीय पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि अपने संबद्ध प्रखण्ड के कनीय अभियंता, पंचायत सचिव एवं नल का जल योजना का एजेंसी का मोबाईल संख्या अपने पास रखेंगे तथा उनसे सम्पर्क कर प्रतिदिन योजनाओं का अनुश्रवण करेंगे।

बैठक में बताया गया कि जिला स्तर पर योजनाओं के अनुश्रवण हेतु वार रूम अधिष्ठापित किया गया है। निदेशित किया गया कि ऐसा ही वार रूम प्रखण्डों में अधिष्ठापित करायेंगे, जिसमें प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी के कार्यपालक सहायक को प्रतिनियुक्ति कर उनके माध्यम से सभी पंचायतों के योजनाओं के बारे में प्रगति की ज़ानकारी प्राप्त करेंगे। बैठक में अवगत कराया गया कि सात निश्चय की योजनाओं का कार्य मार्च 2019 तक पूर्ण किया जाना है। ऐसी स्थिति में सरकार के लक्ष्य के अनुसार कार्य सम्पन्न किया जाना अवश्यक है। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही/ढिलाई स्वीकार नहीं है। हर घर नल का जल योजना के संबंध अवगत कराया गया कि जांच के क्रम में यह मामला प्रकाश में आया है कि कई वार्डो में ऐसी योजना है, जो पूर्व में कार्यरत थी, परन्तु वर्तमान में तकनीकी कारणों से बंद हो गयी है। ऐसे योजनाओं में पंचायतों के माध्यम से मरम्मति कराते हुए पुनः कार्यरत कराने का निदेश दिया गया।

बैठक में बताया गया कि सात निश्चय की योजनाओं के संबंध में ग्रामीण जनता द्वारा राज्य मुख्यालय के दूरभाष पर शिकायत की जाती है। बक्सर जिला मुख्यालय में अधिष्ठापित वार रूम में दो टेलिफोन लगाये गये है ताकि इस दूरभाष पर लोग योजनाओं के बारे में जानकारी दे सके। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि इस दूरभाष संख्या एवं वार रूम के बारे में प्रचार–प्रसार करायें ताकि सात निश्चय या अन्य योजनाओं के बारे में कोई शिकायत हो तो इस दूरभाष संख्या पर आमजन जानकारी दे सके एवं उनसे प्राप्त सूचना के आलोक में कार्रवाई की जा सके।

हर घर नल का जल के समीक्षा के क्रम में बताया गया कि बहुत सारी योजनाओं में छोटे–छोटे कार्य यथा टंकी लगाया जाना, बोरिंग फेल आदि के कारण योजनाएँ अपूर्ण पड़ी हुई है। सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि ऐसे योजनाओं को चिन्हित कर समीक्षा कर पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही वैसी योजनाएँ जिसमें लम्बे समय से कार्य बंद हो उसकी गहन जांच करेंगे।

हर घर पक्की गली–नाली योजना के संबंध में बताया गया कि गली–नाली योजनाओं में पी0सी0सी0 के स्थान पर पेवर ब्लॉक/ईट सोलिंग की प्राथमिकता दी जाय ताकि कम राशि में अधिक–से–अधिक योजनाओं का कार्यान्वयन हो सके।

सभी प्रखण्डों के वरीय पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि सात निश्चय योजना अन्तर्गत जो योजनाएँ पूर्ण प्रतिवेदित है, उनका पुनः समीक्षा करेंगे एवं सुनिश्चित करायेंगे कि धरातल पर योजना पूर्ण हो तथा अभिलेख की कार्यवाही भी संतोषजनक हो। विभाग की अपेक्षा है कि सात निश्चय की अधिक से अधिक योजनाएँ शीघ्र पूर्ण की जाय। अतः अपने संबद्ध प्रखण्डों में इसकी गहनता से समीक्षा कर कार्यो को पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनु0 : सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बक्सर जिला/सभी प्रखण्डों के वरीय पदाधिकारी)

5. बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना :– समीक्षा के क्रम में इस योजना में प्रगति अत्यंत ही असंतोषजनक पाई गई। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि पंचायतों में कैम्प आयोजित कर बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का प्रचार–प्रसार तथा आवेदन प्राप्ति सुनिश्चित करायेंगे।

(अनु0 : सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बक्सर जिला/जिला योजना पदाधिकारी)

6. मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना :– मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की समीक्षा के क्रम में प्रगति असंतोषजनक पाई गई। प्रति पंचायत कम–से–कम पाँच आवेदन प्राप्त किया जाना था, परन्तु अपेक्षित आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि इस योजना का प्रचार–प्रसार करायें तथा पंचायतवार कैम्प आहूत कर योजना की जानकारी देकर योग्य लाभुकों से उनका आवेदन ऑनलाईन करायें।

(अनु0 : सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बक्सर जिला)

7. तकनीकी सहायक/लेखपाल–सह–आई0 टी0 सहायक की नियुक्ति :– समीक्षा के क्रम में जिला पंचायत राज पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि पंचायतों में नियोजित किये जाने वाले तकनीकी सहायक/लेखापाल–सह–आई0टी0 सहायक की काउन्सलिंग की जा चुकी है। निदेशित किया गया कि अग्रेतर कार्रवाई पूर्ण कर उन्हें संबंधित पंचायतों में पदस्थापित/प्रतिनियुक्त करायें।

(अनु0 : जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

8. उत्पाद :– अधीक्षक, उत्पाद को निदेशित किया गया कि एकौना तथा उसके आस–पास के पंचायतों में मद्य निषेध के अन्तर्गत औचक छापेमारी करेंगे तथा मद्य निषेध का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध विधि–सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

(अनु0 : अधीक्षक, उत्पाद)

9. स्वास्थ्य :– बैठक में स्वास्थ्य विभाग के DIO के द्वारा खसरा–रूबेला टीकाकरण की जानकारी दी गई। इसके संबंध में बताया गया कि 09 माह से 15 वर्ष तक के बच्चों को यह टीकाकरण किया जाना है। यदि किसी बच्चे को पूर्व में टीकाकरण हुआ है तो भी इस टीकाकरण को कराया जाना है। यह टीकाकरण 15.01.2019 से प्रारम्भ होगा। सरकारी विद्यालयों के साथ–साथ निजी/प्राईवेट विद्यालयों के छात्र–छात्राओं का भी टीकाकरण किया जाना है। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को इसका प्रचार–प्रसार कराने का निदेश दिया गया ।

आयुष्मान भारत योजना में बक्सर जिला में कम प्रगति पर असंतोष प्रकट किया गया। सिविल सर्जन को इस योजना के प्रावधानों के अन्तर्गत बेहतर कार्य सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया। साथ ही एकौना

पंचायत के अन्तर्गत उप स्वास्थ्य केन्द्र का निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया।

(अनु0 : सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बक्सर जिला/ सिविल सर्जन, बक्सर)

10. <u>आई0सी0डी0एस0</u> :– जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि एकौना पंचायत के आंगनबाड़ी केन्द्रों की जांच कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही THR वितरण की जांच करना सुनिश्चित करेंगे तथा यदि आंगनबाड़ी केन्द्रों के संदर्भ में कोई शिकायत प्राप्त हो तो उसका तत्काल जांच कर आवश्यक कार्रवाई करते हुए प्रतिवेदित करेंगे।

(अनु0 : जिला प्रोग्राम पदाधिकारी)

11. <u>भवन प्रमण्डल</u> :– कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल को निदेशित किया गया कि कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, डुमरांव से सम्पर्क स्थापित कर पार्क निर्माण में उत्पन्न समस्याओं को अविलम्ब समाधान करेंगे तथा कार्यपालक पदाधिकारी को हैण्डओवर करेंगे।

(अनु0: कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, डुमरांव)

12. <u>नगर विकास</u> :– कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, डुमरांव को निदेशित किया गया कि नगर परिषद, डुमरांव में पार्षद एवं पदाधिकारियों के बीच चल रहे गतिरोध को अविलम्ब समाप्त कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनु0 : कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, डुमरांव)

13. <u>पशुपालन</u> :– पशुओं के पेयजल हेतु बक्सर जिला में 20 सौर चलित पम्पसेट लगाया जाना है। इसकी समीक्षा के क्रम में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि पशुपालन विभाग द्वारा चयनित स्थल का सत्यापन कर शीघ्र प्रतिवेदन भेजें।

(अनु0 :सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी)

14. <u>आपूर्ति</u> :– जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि यथाशीघ्र राईस मिलों का सत्यापन कराना सुनिश्चित करेंगे। धान से चावल बनाये जाने हेतु इच्छुक राईस मिलों का ऑनलाईन निबंधन होना है। निदेशित किया गया कि इसका प्रचार–प्रसार कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनु0 : जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम/जिला आपूर्ति पदाधिकारी)

15. <u>अन्यान्य</u> :– समीक्षा के क्रम के पाया गया कि सात निश्चय योजनाओं की प्रगति का प्रतिवेदन 10.10.2018 तक विभाग को भेजा जाना है, परन्तु यह प्रतिवेदन संबंधित विभागीय पदाधिकारियों से काफी विलम्ब से प्राप्त हो रहा है, जिसके कारण विभाग को ससमय प्रतिवेदन भेजने में कठिनाई हो रही है। बैठक में सभी संबंधित पदाधिकारियों को प्रत्येक माह के 05 वीं तारीख तक प्रतिवेदन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनु0 : सभी संबंधित पदाधिकारी, बक्सर जिला)

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

16/12/18

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।

ज्ञापांक 10-4086 /गो0 बक्सर दिनांक 16/12/ 2018

प्रतिलिपिः प्रबंधक, जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र, बक्सर/सभी अंचल अधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बक्सर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः आई0टी0 मैनेजर, बक्सर को जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, बक्सर एवं डुमराँव/सभी कार्यपालक अभियंता, बक्सर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला कल्याण पदाधिकारी/जिला मत्स्य पदाधिकारी/जिला शिक्षा पदाधिकारी/सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा/अधीक्षक, उत्पाद, बक्सर / सभी संबंधित जिला स्तरीय पदाधिकारी, बक्सर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, बक्सर/सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी–सह–मेंटर्स/अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमराँव/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बक्सर/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बक्सर/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन/सिविल सर्जन, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– उप विकास आयुक्त/अपर समाहर्त्ता, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/12/18

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।